FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थीगणः–
1. शैतानराम पुत्र बादरराम
2. घेवरराम पुत्र बादरराम
जातियान–देवासी निवासीगण
गरनिया तहसील जैतारण (पाली)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. गोरधनराम पुत्र बादरराम
जाति–देवासी निवासी–गरनिया
तहसील–जैतारण(पाली)
2. ग्राम पंचायत गरनिया जरिये सरपंच
ग्राम पंचायत गरनिया जैतारण
जिला–पाली
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
4. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी
जैतारण

पंचायत विविध– 08/2020
जीसीएमएस नम्बर– 2020/00294
स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/20	प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा दिनाँक 21.03.2005 को जारी पट्टा संख्या 97/2005 में स्थगन प्राप्त करने हेतु पेश की है। प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 3/2/21 को पेश हो। **जिला कलेक्टर, पाली** जिला कलेक्टर, पाली	1464 01/12/20
3/2/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 के निर्माण कार्य हेतु ग्राम गरनिया के खसरा नंबर 152 गैर मुमकिन आबादी भूमी मे से भूमी एवं उस पर निर्मित संरचना आवाप्त की जा रही है। इस संदर्भ में प्रार्थी शैतान राम पुत्र बादरराम व घेवरराम पुत्र बादरराम द्वारा आपत्ति उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष पेश की गई थी कि कि मुआवजा उसके पैतृक मकान आवाप्ति का है जिसमें बादरराम के सभी वारिस हिस्सेदार है उसके संदर्भ में प्राधिकारी (भूमी आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण जरिये नोटिस क्रमांक एनएच112/भूमि आवाप्ति/2020/520–22 दिनांक 08.10.2020 के सूचित किया कि उक्त आवाप्ति की जाने वाली भूमी एवं उस पर निर्मित संरचना से संबंधित दस्तावेज 7 दिवस में प्रस्तुत करे अथवा इसके मुआवजा भुगतान हेतु किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो उसकी प्रति मय जबाब 7 दिवस में पेश करे। अन्यथा म्याद गुजरने के बाद एवं प्रार्थीगण द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित हितबद्धधारक श्री गोरधनराम पुत्र बादरराम देवासी द्वारा आवाप्त भूमी का ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख प्रस्तुत कर दिया है उसे नियमानुसार मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा। जिला कलेक्टर, पाली	P.J.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:16:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली में संलग्न नोटिस से यह तथ्य साबित है कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही पिता बादरराम की संतान होने से अगर आराजी पैतृक है तो उसमें सहिस्सेदार होने से प्रथमदृष्टया मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतित होता है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थी संख्या 1 को मुआवजा भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति होगी। तथा निगरानी का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी में जैर निगरानी पट्टा संख्या 97/2005 दिनाँक 21.03.2005 जो ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा जारी किया गया है उक्त आराजी के आवाप्ति से पारित मुआवजों का भुगतान इस निगरानी के निर्णय तक किसी व्यक्ति के हक में किए जाने को स्थगित किया जाता है। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 को भिजवाई जाकर पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। एवं मूल निगरानी संख्या 29/2020 के संलग्न की जावें। जिला कलक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली	277-280 10/02/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:16:53 IST
Reason: SelfAttested